




| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|--------------|--|--------------------|
| 22.03.2023 | <p style="text-align: center;">वाद संख्या-08 / 2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।</p> <p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर का कहना है कि शिकायतकर्ता के सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उनके आरोपों को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को, निदेश देता है कि वो इस वाद से संबंधित सभी साक्ष्य अगली निर्धारित तिथि से पूर्व आयोग को भेजें। अगली सुनवाई दिनांक-25.04.2023 को की जाएगी।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div> <p style="margin-top: 20px; font-size: 1.2em;">अपीलार्स कारण से आज की सुनवाई स्थगित की जावे है। सुनवाई की अगली तिथि दि. 16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। सूचना उभयपक्षों को दे।</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  25.4.23 </div> | |